

प्रेस नोट दिनांक 07.01.2023

थाना भोजीपुरा जनपद बरेली

थाना भोजीपुरा बरेली पुलिस द्वारा गौकशी के अपराध में वांछित/25000 रुपये का ईनामिया अभियुक्त किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा अपराध की रोकथाम एवं पुरस्कार घोषित/वांछित/ गौकशी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नवाबगंज के पर्यवेक्षण में थाना भोजीपुरा पुलिस द्वारा जादोपुर तिराहे से दिनांक 07.01.2023 समय 7.00 बजे अभियुक्त अमीर पुत्र कमाल खां निवासी रत्ना चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त थाना भोजीपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 642/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट का वांछित अभियुक्त एवं 25000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी था । अभियुक्त अमीर पुत्र कमाल खां उपरोक्त से पूछताछ के दौरान बताया गया कि करीब 27 दिन पहले मैं व मेरे साथी 1. शराफत पुत्र रमजान शाह 2. रियासत पुत्र रहमत शाह 3. मुबारिक उर्फ आडा पुत्र अली अहमद 4. नन्हे पुत्र मेहराब खां 5. जुबैर पुत्र कमाल खां 6. दिलावर पुत्र टुण्डा 7. शमशाद पुत्र मो0 अली 8. सलमान पुत्र सत्तार निवासीगण रत्ना चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जिला बरेली 9. डम्पी उर्फ शहीद पुत्र प्रधान खां निवासी ग्राम सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जिला बरेली के साथ मिलकर आवारा घूम रहे गौवंशीय पशुओं को पकड़कर रात्रि में जंगल में ले जाकर काट देते हैं । हम लोग अपने शौक पूरे करने व भौतिक लाभ लेने के लिए गौकशी का काम करते हैं । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अमीर पुत्र कमाल खां निवासी रत्ना चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र करीब 27 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना भोजीपुरा जिला बरेली
2. उ0नि श्री विकास यादव थाना भोजीपुरा जिला बरेली
3. का0 2866 मनीष कुमार थाना भोजीपुरा जिला बरेली
4. का0 3273 सलेख कुमार थाना भोजीपुरा जिला बरेली
5. का0 3808 राहुल कुमार थाना भोजीपुरा जिला बरेली ।